RajCOMP Info Services Ltd.
Letter RR No. 4857
Date 26.12.13

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/13–पार्ट–I

जयपुर, दिनांक 19/12/13

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार नाम के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति
1	1997	श्री मनोज कुमार नायक वाहन चालक निदेशालय मूल्यांकन संगठन, राजस्थान योजना भवन, जयपुर	5/97, गांधीनगर	31.7.2026
2	16/2000	श्री वर्मेन्द्र सिंह तंवर कनिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	5/71, गांधीनगर (5/74, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.5.2032
3	101/2006	श्री अनिल कुमार चौधरी केयर टेकर अधीक्षक शिशु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	5/112, गांधीनगर	31.3.2042
4	2/2008	श्री दिलीप कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (क–1) विभाग, गोपनीय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/147, गांधीनगर	31.10.2046
5	121/06	श्री हनुमान सोनी कनिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता जल संसाधन संसाधन खण्ड, जयपुर	5/151, गांधीनगर	31.1.2026
6	122/2006	श्रीमती आशा पारीक कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग यांत्रिक खण्ड–II, जयपुर	5–ए–10, गांधीनगर	31.3.2021
7	123/06	श्री एलमसिंह रावत कनिष्ठ लिपिक न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	5 डी–5, गांधीनगर	1.11.2040
8	14/2010	श्री जयराम शर्मा कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय, आयोजना, सचिवालय, जयपुर	जी–936, (नया नम्बर 5/166) गांधीनगर	31.8.2027
9	146/06	श्री विजय कुमार लखेरा कनिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	GAD-V-I-1-47, विद्याधर नगर	31.8.2035
10	20/09	श्री सन्नी बैरवा कनिष्ठ लिपिक निदेशक, स्थानीय निधी अकेक्षण विभाग, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर	GAD-V-I-1-77, विद्याधर नगर	31.8.2043
11	52/2010	श्री मान सिंह कनिष्ठ लिपिक सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–8, जयपुर महानगर, जयपुर	GAD-V-I-1/137, विद्याधर नगर	31.8.2034

12	76/2010	श्री सतीश चन्द गुप्ता कनिष्ठ लिपिक विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट, क्रम-4, जयपुर	GAD-V-1-1/159, विद्याधर नगर	31.7.203
13	44/2011	श्री मानवेन्द्र सिंह तँवर कनिष्ठ लिपिक मंत्रीमण्डल सचिवालय शासन सचिवालय, जयपुर	5/142, गांधीनगर	31.12.2051

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम पर जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।
10. क्रम संख्या 6 व 7 पर अंकित आवंटियों से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/– (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

पूर्व में इस विभाग द्वारा श्री ताराचन्द कुम्हार, लिफ्ट ऑपरेटर, कार्मिक (ख–3) विभाग, विद्युत स्टोर, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश संख्या प.18(1)सा०/2/2013 पार्ट–I दिनांक 15.10..2013 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 5 ए–10, गांधीनगर (बहगंजिला) का आवंटन निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खेरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख -1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. निदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, योजना भवन, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर,
7. अधीक्षक (शिशु), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड--जयपुर.
10. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यांत्रिक उपखण्ड- II, जयपुर
11. न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
12. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलग खण्ड, पानी पेच, जयपुर।
13. निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
14. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम--8, जयपुर महानगर, जयपुर।
15. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट, क्रम--4, जयपुर।
16. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
19. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर। कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
20. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर.
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर
22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
23. श्री धर्मेन्द्र सिंह तंवर, कनिष्ठ लिपिक, अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को भेज कर लेख है कि आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
24. सम्बन्धित कर्मचारीगण
25. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
26. रक्षित पत्रावली।

19/12/17

(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव